कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उसके द्वारा वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर दिया जाना

385. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संसद्-सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने की कार्यवाही में किए गए प्रावधानों में दिए गए दिशा/निर्देशों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को उक्त प्रावधानों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, ताकि संसद-सदस्यों के पत्रों का शीघ्र उत्तर दिया जा सके?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का तत्काल उत्तर देने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में निर्धारित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं। परन्तु, सामान्यतः राज्य सरकारें इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश निर्धारित करती हैं।

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री ने दिनांक 26.12.97 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस संबंध में संसद सदस्यों की चिन्ता को दोहराते हुए अनुरोध किया था कि वे अपनी-अपनी सरकारों के अंतर्गत सभी कार्यालयों को इस आशय के समुचित दिशा/निर्देश/अनुदेश जारी करें कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने के संबंध में वे केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुदेशों के आधार पर समुचित कार्य पद्धति का अनुपालन करें।

भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालतें

386. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार तथा वित्तीय घोटालों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु देश में विशेष अदालतें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान हेतु विशेष अदालतें स्थापित करते समय उच्चतम न्यायालय की राय पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) से (ग) भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें, दोनों ही उपर्युक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई के लिए, विशेष न्यायाधीश को नियुक्त कर सकती हैं। दंड-प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार, राज्य-सरकारें विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के शीघ्र निबटाए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए तथा राज्य-सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का सुझाव देते हुए प्रधान मंत्री ने जून, 1997 में सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

(घ) चूंकि विशेष न्यायालय राज्य-सरकारों द्वारा गठित किए जाने हैं, अतः इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

मंत्रालयों/विभागों की संख्या में कमी

387. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों का विलय करके केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की संख्या में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो विलय किए गए मंत्रालयों और विभागों का ब्यौरा क्या है;